

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :- 50/2025 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट
दयालाराम पुत्र श्री मुखराम उम्र 38 वर्ष निवासी चक 9 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ।

- वादी

बनाम्

1. स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू जिला हनुमानगढ।
----- प्रतिवादी
2. राजबाला पत्नी दयालाराम निवासी चक 9 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला
हनुमानगढ।
3. लालू उर्फ लालू राम पुत्र धन्नाराम निवासी मोटेर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
-तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री दुलीचन्द अठवाल वकील-वादी
श्री प्रेमनाथ प्रतिवादी सं. 2, 3
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक- 19.3.2025

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर
के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी दयालाराम व तरतीबी प्रतिवादी सं.- 2 राजबाला को ब हिस्सा बराबर ग्राम मोटेर
के खाता सं0- 487/446 के खसरा सं0- 1291/749 कुल 5.0590 है0 बारानी कृषि
भूमि के खातेदार काश्तकार,
2. तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 को ग्राम मोटेर के खाता सं0- 322/289 के खसरा सं0-
1037/589 कुल 5.0590 है0 बारानी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना
अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.3.2025
को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

